पत्रांक–योजना बजट–20/2013 /प०व०

बिहार सरकार

पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

रत्नेश झा,
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना

पटना–15, दिनांक–...../12/2016

विषय :– प्रदूषण नियंत्रण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कुल ₹183.50 लाख (एक करोड़ तिरासी लाख पचास हजार ₹) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रदूषण नियंत्रण योजनान्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित योजनाओं (संलग्न विस्तृत विवरणी अनुलग्नक 01 तथा Annexure- A एवं B के अनुरूप) के क्रियान्वयन हेतु बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्रीनगर, पटना को सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपलब्ध कराने के लिए कुल ₹114.82 लाख (एक करोड़ चौदह लाख बेरासी हजार ₹) एवं विगत वर्ष में उपलब्ध कराये गये राशि में से प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के पास संचित अव्ययित राशि ₹68.68 लाख अर्थात् कुल (₹114.82 लाख + ₹68.68 लाख) ₹183.50 लाख के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वित्त विभागीय संकल्प संख्या–2063 दिनांक–11.03.2016 एवं वित्त विभागीय संकल्प संख्या–96 दिनांक–03.01.2008 के आलोक में यह स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

2. इस राशि की निकासी मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी–01–वानिकी–105–वन उत्पाद, मांग संख्या–19, 01 04–प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, विपत्र कोड P2406011050104 विषय शीर्ष–31 06–सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा, के अन्तर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि के तहत की जायेगी।

3. वित्तीय वर्ष 2016–17 में सहायक अनुदान के रूप में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृत राशि ₹114.82 लाख (एक करोड़ चौदह लाख बेरासी हजार ₹) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी उनके सम्बद्ध कोषागार से की जायेगी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा इस राशि की निकासी कर Bank Draft के माध्यम से सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना को उपलब्ध करायी जायेगी।

4. इस राशि से संबंधित योजना के कार्यान्वयन होने समय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस स्वीकृत्यादेश में संलग्न अनुलग्नक–1 में कार्य योजनावार निर्धारित प्राक्कलित राशि के अन्तर्गत ही राशि का व्यय किया जायेगा।

5. सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की राशि का उपयोग उसी कार्य में किया जा रहा है जिस कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है तथा कार्य का दोहरीकरण नहीं हो रहा है। उनके द्वारा इन बिन्दुओं पर संतुष्टि प्रमाण–पत्र के साथ भौतिक एवं वित्तीय प्रगति संबंधी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के माध्यम से सत्यापित कर उपलब्ध कराया जायेगा।

6. प्रस्ताव में संचिका के पृष्ठ–38/टि० पर दिनांक–22.11.2016 को विभागीय प्रधान सचिव एवं पृष्ठ–39/टि० पर, दिनांक–09.12.2016 को आंतरिकत वित्तीय सालाहकार की स्वीकृति प्राप्त है।

7. इस राशि का आवंटन निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

8. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रयण पर्षद, पटना द्वारा तैयार किया गया कार्य योजना (संलग्न अनुलग्नक) में दर्शाया गया प्राक्कलन के अनुरूप ही इन योजनाओं को पूर्ण किया जायेगा। यदि योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितता होती है तो इसके लिए इस योजना के स्थल पर कार्यान्वयन में संलग्न सभी पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

10. इस योजना में दिये गये प्रथम अग्रिम से कार्य योजना की गुणवत्ता एवं भौतिक प्रगति से पूर्णतः संतुष्ट होने तथा इसकी प्रविष्टि मापी पुस्तिका में हो जाने तथा क्रियान्वयन संबंधी प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा अग्रिम की अगली किस्त निर्गत की जायेगी।

11. प्रत्येक स्तर पर कार्य पूर्ण होने पर एक जाँच प्रतिवेदन तत्संबंधी, रंगीन छाया–चित्र के साथ अभिलेख में संधारित किया जायेगा। प्रत्येक स्तर पर कार्य पूर्ण होने की जाँच के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा अपने स्तर से पदाधिकारी नामित किया जायेगा।

अनुलग्नक – यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/–

(रत्नेश झा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–योजना बजट–20/2013 5524 **/प०व० पटना–15, दिनांक–**09**/12/2016**

प्रतिलिपि :– (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, बेल्ट्रोन भवन, शास्त्री नगर, पटना/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/आई०टी० (मैनेजर)/बजट शाखा (दो प्रतियों में), पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(रत्नेश झा) 9/12/16

सरकार के उप सचिव

अनुलग्नक - I

राज्य सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित योजनाओं के कियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में अपेक्षित अनुदान राशि से सम्बन्धित विवणी ।

क0 स0	प्रस्वावित योजना	विवरणी	वित्ती वर्ष 2016-17 के लिए अपेक्षित राशि (रू०लाख में)	अभियुक्ति ।
1	केन्द्रीय प्रयोगशाला एवं निरीक्षण हेतु आवश्यक संयत्रों का कय ।	(i) केन्दीय प्रयोगशाला के लिए एक अदद Atomic Absorption Spectrophoto Meter का कय किया जाना है, इसलिए अनुदान अपेक्षित है।	65.00	इस संयत्र से हैभी मेटल का जांच किया जायेगा ।
		(ii) पर्षद् के पदाधिकारियों/कर्मचारियों जो स्थल निरीक्षण, नमूना संग्रहण एवं विश्लेषण आदि कार्य का निष्पादन करते हैं के लिए कुल 22 अदद मोबाईलफोन टैबलेट (@ 0.25 लाख प्रति अदद) का कय ।	5.50	पर्षद् में ऑन लाईन प्रणाली से सहमति आवेदनों का निष्पादन किया जा रहा है। इस प्रणाली को सुदृढ़ एवं कार्यदक्षता को बढ़ाने के लिए सभी तकनीकी एवं वैज्ञानिक संवर्ग में वैसे पदाधिकारी जो प्रायः निरीक्षण , नमूना संग्रहण एवं विश्लेषण का कार्य करते हैं (**अनुलग्न-A**) को एक-एक अदद मोबाईलफोन टैबलेट दिया जाना है ताकि स्थल निरीक्षण के उपरान्त अबिलंब निरीक्षण प्रतिवेदन ऑन लाईन प्रणाली को भेजी जा सके ।

Member Secretary
Bihar State Pollution Control Board,
Patna

9/11/16

		(iii)) पर्षद् के तकनीकी एवं वैज्ञानिक पदाधिकारियों के लिए कुल 8 अदद लैप टॉप (@ 0.85 लाख प्रति अदद) का क्रय किया जाना है।	6.80	**अनुलग्न-B** में उल्लेखित पदाधिकारियों को अपने कार्यो को दक्षता पूर्वक निर्वहन हेतु एक-एक अदद लैप टॉप दिए जाने का प्रस्ताव है ताकि ये सभी पदाधिकारी यात्रा के दौरान भी अपने कार्यो का निष्पादन कर सके ।
2	9 प्रमंडलीय जिला मुख्यालय के लिए Stack Monitoring Kit एवं Sound Level Meter का क्रय ।	(i) राज्य सरकार के निदेशानुसार 9 प्रमंडलीय जिला मुख्यालय के लिए 18 अदद Sound Level Meter का क्रय किया जाना है।	80.35	माननीय पटना उच्च न्यायलय,पटना द्वारा C.W.J.C. No. 18942/2015 पारित आदेश के आलोक में राज्य सरकार के निदेशानुसार 9 प्रमंडलीय जिला मुख्यालय के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को एक-एक Sound Level Meter दिया जाना है।
		(ii) राज्य सरकार के निदेशानुसार 9 प्रमंडलीय जिला मुख्यालय के लिए 9 अदद Stack Monitoring Kit का क्रय किया जाना है।	25.85	माननीय पटना उच्च न्यायलय,पटना द्वारा C.W.J.C. No. 18942/2015 पारित आदेश के आलोक में राज्य सरकार के निदेशानुसार 9 प्रमंडलीय जिला मुख्यालय के जिलापदाधिकारी को एक-एक Stack Monitoring kit दिया जाना है।
		कुल	183.50	(एक सौ तेरासी लाख पचास हजार)

20/10/16

Member Secretary
Bihar State Pollution Control Board
Patna

Annexure - A

List of Officers/Sections for whom Tablet has to be Provided.

Sl. No.	Officer/Section	Numbers Required	Remarks
1	Chairman	1	presently, the officers mentioned in this list are neither provided with mobile phone nor they are provided with a tablet for proper communication and other monitoring work. Tablets are mobile equipments with larger screen than an ordinary mobile phone, which can be used for app/software-based monitoring/ field inspection purpose. To improve the transparency in the present system of field inspections for issuing CTE/CTO/Authorisation mobile-tablets supported with app based monitoring system along with the facility of geo-tagged photographs of the industrial units is very essential to enhance the efficiency of the consent management system and to bring down the work load on the officers and to facilitate them in the Board. Apart from the field inspections, the mobile tablet also gives flexibility for the officers to carry out short work like accessing the on-line consent management system, web browsing, typing, etc. even during movement in the vehicles and at home as well. This will do away with the present system of scanning and uploading the hardcopy of the hand-written inspection report in the online consent management system, thereby reducing the
2	Member Secretary	1	
3	Assistant Environmental Engineers	4	
4	Junior Environmental Engineers	5	
5	Assistant Scientific Officer	7	
6	Bio-Medical and Plastic Waste On-line Authorisation (Dr. Naveen Kumar)	1	
7	Solid Waste and Hazardous Waste On-line (Mr. S.N. Jaiswal)	1	
8.	RO, Begusarai	1	
9	RO, Muzaffarpur	1	
	Total:	**22**	

20/10/16

Member Secretary
Bihar State Pollution Control Board
Patna

Annexure - B			
List of Officers/Section for whom Laptop computer is Required			
Sl. No.	Officer/Section	Numbers Required	Remarks
1	Chairman	1	Presently, the officers mentioned in this list are not provided with Laptop computer. Laptop computer gives flexibility because of portability and ease of handling for dealing with on-line consent management system and the on-line authorisation system, under various Rules. This is one of the major functions of the Board and engages major work force. Thelaptop computer gives flexibility for the officers to work even while moving in their vehicles, on week ends, during leisure time, during training time, and at home as well. At the same time the officers will also stay updated with the latest guidelines/circulars/directions of the CPCB and MoEF&CC, with the support of internet connection for better, eficient and transparent public service delivery.
2	Assistant Environmental Engineers	4	
3	Junior Environmental Engineers	5	
4	Bio-Medical and Plastic Waste On-line Authorisation	1	
5	Solid Waste and Hazardous Waste On-line	1	
6	Legal Section	1	
7	RO, Muzaffarpur	1	
	Total:	**14**	

20/10/16